

सार्वजनिक सूचना

यह नोटिस इंडिया मॉर्गेज गारंटी कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड ("कंपनी" या "आईएमजीसी") और जेनवर्थ फाइनेंशियल मॉरीशस होल्डिंग्स लिमिटेड और सेजेन इंटरनेशनल होल्डिंग्स इंक. (सामूहिक रूप से "खरीदार") और इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, एशियन डेवलपमेंट बैंक, और नेशनल हाउसिंग बैंक (सामूहिक रूप से "विक्रेता") द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जा रहा है, मास्टर निर्देश के पैराग्राफ 42 के अनुसार—भारतीय रिजर्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - स्केल आधारित विनियमन) दिशानिर्देश, 2023 (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के पूर्ववर्ती अध्याय X (लागू एनबीएफसी के नियंत्रण का अधिग्रहण/हस्तांतरण) - प्रणालीगत रूप से भारतीय रिजर्व बैंक ("आरबीआई") द्वारा जारी किए गए महत्वपूर्ण गैर-जमा स्वीकार करने वाली कंपनी (रिजर्व बैंक) दिशानिर्देश, 2016 (इसके तहत किसी भी संशोधन और इस संबंध में आरबीआई द्वारा समय-समय पर जारी किए गए किसी अन्य लागू निर्देश/परिपत्र/अधिसूचना सहित)("आरबीआई दिशानिर्देश")।

प्रस्तावित लेनदेन के लिए पृष्ठभूमि और तर्क

कंपनी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसे कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत कॉर्पोरेट पहचान संख्या **U65922DL2006FTC153640** के साथ निगमित किया गया है और इसका पंजीकृत कार्यालय टी-10, तीसरी मंजिल, प्लॉट नंबर 9, एच.एल. प्लाजा, पॉकेट-2, सेक्टर-12, द्वारका, दिल्ली - 110075 में है। कंपनी 18 अप्रैल, 2013 के पंजीकरण प्रमाणपत्र के संदर्भ में आरबीआई के साथ एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में पंजीकृत है, जिसका संदर्भ संख्या एन-14.03271 है और इसके अलावा 'बंधक गारंटी कंपनी' के तहत एक बंधक गारंटी कंपनी के रूप में लाइसेंस प्राप्त और पंजीकृत है। रिजर्व बैंक दिशानिर्देश, 2008' (बंधक गारंटी कंपनियों (रिजर्व बैंक) दिशानिर्देश, 2016 ("बंधक गारंटी दिशानिर्देश") द्वारा संशोधित और प्रतिस्थापित)।

कंपनी ने विक्रेताओं द्वारा क्रेताओं को कंपनी के 32.22% इक्विटी शेयरों के हस्तांतरण के लिए उपर्युक्त आरबीआई निर्देशों के तहत अनुमोदन के लिए आरबीआई को एक आवेदन प्रस्तुत किया था साथ ही कंपनी के निदेशक मंडल ("बोर्ड") की संरचना में परिणामी परिवर्तन ("प्रस्तावित लेनदेन") प्रस्तावित लेनदेन के माध्यम से, खरीदार कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के इच्छुक हैं।

आरबीआई अनुमोदन

कंपनी ने प्रस्तावित लेनदेन के संबंध में आरबीआई के निर्देशों के तहत आरबीआई से पूर्व अनुमोदन मांगा था (i) कंपनी की शेयरधारिता में प्रस्तावित परिवर्तन जिसके परिणामस्वरूप क्रेता द्वारा संचयी आधार पर कंपनी की 26% से अधिक चुकता इक्विटी पूंजी का अधिग्रहण किया जाएगा और (ii) कंपनी के बोर्ड में परिणामी परिवर्तन, जैसा कि कंपनी द्वारा आरबीआई के पास पूर्व अनुमोदन के लिए प्रस्तुत आवेदन में बताया गया है।

इसके बाद, आरबीआई ने अपने पत्र दिनांक 21 दिसंबर 2023 के माध्यम से, आरबीआई निर्देशों के प्रावधानों और अनुमोदन पत्र के तहत निर्दिष्ट अन्य शर्तों के अनुसार एक सार्वजनिक नोटिस जारी करने के अधीन, प्रस्तावित लेनदेन के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। तदनुसार, यह नोटिस प्रस्तावित लेनदेन के परिणामस्वरूप कंपनी की शेयरधारिता में प्रस्तावित परिवर्तन और उसके बोर्ड संरचना में परिणामी परिवर्तन के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए जारी किया जा रहा है।

इस संबंध में कोई भी स्पष्टीकरण और/या आपत्तियां इस नोटिस के प्रकाशन के 30 (तीस) दिनों के भीतर कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को डाक द्वारा या ईमेल द्वारा compliance@imgc.com पर भेजी जा सकती हैं।

इस नोटिस की एक प्रति कंपनी की वेबसाइट www.imgc.com पर भी उपलब्ध है।

हस्ता / -

इंडिया मॉर्गेज गारंटी कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड

हस्ता / -

जेनवर्थ फाइनेंशियल मॉरीशस होल्डिंग्स लिमिटेड

हस्ता / -

सेजेन इंटरनेशनल होल्डिंग्स इंक

हस्ता / -

अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम

हस्ता / -

एशियाई विकास बैंक

हस्ता / -

राष्ट्रीय आवास बैंक

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 27 दिसंबर 2023